न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 129/2019

प्रविष्टि दिनांक – 10.10.2019

उनवान

रामधन उर्फ धन्ना पुत्र लाला जाति माली निवासी मोदी की चौकी, सोलगंपुरा, तहसील व जिला टोंक

–आवेदक/वादी

बनाम

1. गेन्दया पुत्र लाला जाति माली निवासी मोदी की चौकी, सोलगंपुरा, तहसील व जिला टोंक
2. गोपाल पुत्र लाला जाति माली निवासी मोदी की चौकी, सोलगंपुरा, तहसील व जिला टोंक
3. मोहन पुत्र लाला जाति माली निवासी मोदी की चौकी, सोलगंपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. छोटूलाल पुत्र लाला जाति माली निवासी मोदी की चौकी, सोलगंपुरा, तहसील व जिला टोंक
5. तहसीलदार टोंक

विपक्षीगण

उपस्थित– श्री तैजमल जैन– अभिभाषक वादी

श्री अर्जुनलाल मीणा– पैरोकार सरकार

निर्णय

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक : 03/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1793/4 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम मेहन्दवास एंव खसरा नम्बर 257/4, 278/2, 297, 309/3, 315/2, 383, 412, 490, 736, 763, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 871 कुल किता–5 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम मालियों की झोपडी पटवार हल्का मेहन्दवास, तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसमें मुताबिक रिकार्ड आवेदक एंव प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम दर्ज है जिसका वह तन्हा मालिक एंव स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम धन्ना अंकित कर रखा है जबकि सही एंव वास्तविक नाम रामधन है। राशनकार्ड, अधारकार्ड, बेंक की पासबुक आदि में रामधन ही नाम अंकित है। अतः प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा0पत्र0 स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में धन्ना के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम रामधन उर्फ धन्ना अंकित करवाया जाकर दुरुस्ती फरमायी जाये।

आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये दस्तावेजात–जमाबन्दी, राशनकार्ड, आधारकार्ड, आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगणको तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण संख्या–1 ता 4 ने आवेदक के पक्ष में जवाब पेश किया तत्पश्चात प्रतिपक्षी संख्या–5 तहसीलदार से जवाब तलब किया गया। पैराकार सरकार ने तहसीलदार की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में धन्ना से अंकित हुआ है जो लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो गया है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी पेश किये जाने है। उक्त लिपिकीय त्रुटि को सही किया जकर सम्मानजनक नाम अंकित किया जाना उचित है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम धन्ना अंकित है एंव आधारकार्ड एंव अन्य दस्तावेजात में रामधन अंकित है। तहसीलदार टोंक ने भी अपने जवाब में उक्त त्रुटि स्वीकार की है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से आवेदक का नाम धन्ना के स्थान पर रामधन उर्फ धन्ना अंकित हो गया है जो लिपीकीय त्रुटि होने से दुरूस्ति योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी ख0नं0 1793/4 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम मेहन्दवास एंव खसरानम्बर 257/4, 278/2, 297, 309/3, 315/2, 383, 412, 490, 736, 763, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 871 कुल किता–5 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम मालियों की झोपडी पटवार हल्का मेहन्दवास, तहसील व जिला टोंक में आवेदक का नाम धन्ना के स्थान पर सम्मानजनक नाम रामधन उर्फ धन्ना किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 03/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक